FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) मुकाम नीमकाथाना

रामचन्द वगै0 बनाम नत्थूराम वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 मु0 न.0 93 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से श्री लीलाराम वर्मा एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/ रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तामिल दिनांक 24.10.2024 को पेश हो। Amita सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक नीमकाथाना	
24/10/24 पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थीगण सं. 1,2,3 की तामील सम्यकरूप से हो चुकी है। बावजूद तामील अनु०। अप्रार्थीगण सं. 1,2,3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली दिनांक 13/11/2024 को पेश हो।	
13/11 पत्रावली पेश हुई। वकीलान उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/11/24 को पेश हों।	
29/11/24 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वादपत्र व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी भूमि राजस्व ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बिहारीपुर प्रार्थी का पिता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विभाजन का वाद पेश किया है। अप्रार्थीगण बिना विधिवत विभाजन करवाये विशेष भू–भाग पर जबरन कब्जा कर भूमियों को अकृर्षि में तब्दील करने एवं बेचान करने पर पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.12.26 11:50:09 IST
Reason: SelfAttested

आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टिया प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी/खातेदार के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी किया जाता है कि **उभय पक्षों को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 823 रकबा 1.62 हैक्ट0, खसरा नम्बर 825 रकबा 1.34 हैक्ट0 राजस्व ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बिहारीपुर तहसील पाटन के बेचान न करने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित मूल वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जा चुका है।** ऐसी स्थिति में न्यायहीत में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (F.T.) ...थाना (सीकर)

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.12.26 11:50:09 IST
Reason: SelfAttested